

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 665/2025**

IN THE MATTER OF:**JAGAN PRASAD TEHRIYA****....APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.****.....RESPONDENT(S)****INDEX**

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7, IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	COPIES OF THE SAID LETTERS DATED 05.03.2026 ARE BEING ANNEXED HEREWITH COLLECTIVELY AS ANNEXURE- 1	
3.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 28.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE SAID UPPCB LETTER DATED 27.02.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS	

	ANNEXURE-3	
5.	COPIES OF THE LETTERS DATED 01.01.2025 AND 10.10.2025 ARE BEING ANNEXED HERewith AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 02.12.2025 IS BEING ANNEXED HERewith AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

Date: 24.03.2026
Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 665/2025

IN THE MATTER OF:

JAGAN PRASAD TEHRIYA

....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.


.....RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7, IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 23.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL

I, Deepak Kumar aged about 46 years S/o Shri Suman Prasad Singh, presently posted as Commissioner Of Police, Agra do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel



on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the Applicant in the present O.A has raised grievances regarding the alleged illegal felling of trees, illegal construction and encroachment in the ecological sensitive zone of Agra District, particularly, around the Taj Mahal and along Agra-Gwalior Highway.
4. That the above-mentioned O.A was listed for hearing on 23.12.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

“6. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

7. Issue notice to the respondents.”

II. REPLY IS AS FOLLOWS:

5. It is submitted that the Deponent vide letters dated 05.03.2026, addressed the concerned authorities: 1. Municipal Commissioner, Municipal Corporation, 2. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) 3. Secretary, Agra Development Authority, and 4. Divisional Forest Officer, Agra,

thereby requesting them to inspect the concerned sites in question and provide the inspection report regarding the issues of tree felling and illegal encroachments to the Deponent at the earliest.

Copies of the said letters dated 05.03.2026 are being annexed herewith collectively as **ANNEXURE- 1**

6. That accordingly, actions taken by the afore-mentioned authorities are reproduced as under:

7. It is submitted that in compliance of the order dated 23.12.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the Municipal Corporation, vide letter dated 28.01.2026 has addressed the Divisional Director, Social Forestry Division, that in accordance with the annual targets set by the Government for plantation, tree plantation has been carried out at various locations in the city. That further, an "Eco Green Point" has been developed at a vacant site in front of Defence Land in Madhu Nagar, where 1,796 new saplings have been planted. The species and the number of trees and other relevant information have also been disclosed in the said letter. That further, it is submitted that no tree felling has been carried out at the said site by the Municipal Corporation, Agra, and the existing trees remain intact.

A copy of the said letter dated 28.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-2**

8. It is submitted that further, vide letter dated 27.02.2026, the Regional Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) had requested the Vice-Chairman, Agra Development Authority, Agra, to conduct a site inspection and provide a detailed factual report. That in compliance of which, the Vice-Chairman, Agra Development Authority, Agra, submitted a report on certain points through letter dated 07.03.2026.

A copy of the said UPPCB letter dated 27.02.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-3**

9. That vide letter dated 07.03.2026, the ADA has informed the Divisional Director, Forestry Division that for the protection of plants in Shahjahan Park, and for examination and verification of the ASI boundary along with the composite plan, a Joint Committee was constituted pursuant to the orders dated 01.10.2025 issued by the Divisional Commissioner, Agra, vide letter dated 10.10.2025.

Copies of the letters dated 01.01.2025 and 10.10.2025 are being annexed herewith as **ANNEXURE-4**

10. It is submitted that accordingly, the Joint Committee had conducted a site inspection on 27.10.2025 and, vide letter dated 02.12.2025, submitted the following recommendations, the relevant extract of which is as under:

- i. For carrying out thematic transformation work in Shahjahan Park, it would be appropriate to undertake construction activities only after applying to the competent authority / National Monuments Authority and obtaining the requisite No Objection Certificate (NOC) as per rules.
- ii. Due to excavation/works carried out on-site for sculptures, the roots of trees have become exposed. Therefore, it appears appropriate that further work be undertaken only after conducting an environmental assessment through an institution recognized by the Government of India/Uttar Pradesh Government, and on the basis of the environmental assessment report, so that it can be ensured that there is no harm to the trees.

A copy of the said letter dated 02.12.2025 is being annexed herewith as


ANNEXURE-5

11. It is germane to mention here that from the date of the inspection carried out by the Joint Committee on 27.10.2025, the construction work at the site in question at Shahjahan Park has been completely halted.

12 That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.


13 Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

Debn
DEPONENT



VERIFICATION

Verified at AGRA on this 23rd day of March, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Deedh
DEPONENT

72

Explained to Deepak Kumar
read by Shri Sunar Prasad Singh
and understood the contents
solemnly affirmed and declared
an oath Commissioner of Police
at 23/3/2026 Agri.
certified by _____
Known to me Shri Sunar Prasad Singh

ANNEXURE-1

कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम

जनपद आगरा

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार प्रकरण में वृक्ष काटन से संबंधित तथ्यों पर शपथपत्र दाखिल किया जाना है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर उल्लेखित बिन्दुओं की पर जाँच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर पुलिस आयुक्त

कमिश्नरेट आगरा

05/03/26

कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जनपद आगरा

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार प्रकरण में वृक्ष काटन से संबंधित तथ्यों पर शपथपत्र दाखिल किया जाना है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर उल्लेखित बिन्दुओं की पर जाँच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर पुलिस आयुक्त

कमिश्नरेट आगरा

05/03/26

कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा

सेवा में,

सचिव,

आगरा विकास प्राधिकरण

जनपद आगरा

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार प्रकरण में वृक्ष काटन से संबंधित तथ्यों पर शपथपत्र दाखिल किया जाना है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर उल्लेखित बिन्दुओं की पर जाँच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर पुलिस आयुक्त
कमिश्नरेट आगरा

05/03/26

कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जनपद आगरा

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार प्रकरण में वृक्ष काटन से संबंधित तथ्यों पर शपथपत्र दाखिल किया जाना है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-665/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर उल्लेखित बिन्दुओं की पर जाँच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

दिनांक-०५/०३/२०२६

अपर पुलिस आयुक्त
कमिश्नरेट आगरा

कार्यालय, नगर निगम आगरा।

पत्रांक:- 259/डी/उद्यान/2025

दिनांक:- 28.01.2026

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-665/2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 23.12.2025 महोदय,

आपके कार्यालय स्वकीय पत्रांक 3188/35-3 आगरा, दिनांक 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में आगरा जनपद में ताजमहल के समीपवर्ती अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने तथा आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हरियाली नष्ट कर सेल्फी प्वाइंट विकसित किये जाने व मा0 अधिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित आदेश दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिवादीगणों को 04 सप्ताह के भीतर रिप्लाई/जबाव शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जाने व आदेश के साथ निर्देशित किया गया है जो कि बिन्दु संख्या-5 में प्रेषित है-

5. Further allegation of the applicant is that the Agra Municipal Corporation is illegally raising concrete structure for "selfie point on the green belt ahead of Madhu Nagar on Gwalior Road" The applicant has also alleged that numerous private individuals have cut trees and erected buildings or the mandatory green belt on both sides of the Highway from the 509 Arm Base Workshop to Saiya and the L&T has also indiscriminately cut th trees without obtaining necessary permissions in the metro construction work.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण हेतु दिये गये लक्ष्य अनुरूप शहर के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाता है। मधु नगर में डिफेन्स लैंड के सामने स्थित स्थल पर इकोग्रीन प्वाइंट विकसित किया गया है, जहाँ 1796 वृक्ष एवं पौधे लगाये गये जो कि निम्नवत् है-


क्र0 सं0	पौधों की प्रजाति	कुल संख्या	पौधों से होने वाले लाभ
1	डेटपाम	28	डेटपाम का पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है।
2	बुद्ध बेली	340	बुद्ध बेली प्लांट के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे आसपास का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ रहता है।
3	फिकस पान्डा	1030	फिकस की अन्य किस्मों की तरह, यह धूल कणों (dust and particulates) को फंसाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।
4	साइप्रस गोल्डन	30	गोल्डन साइप्रस एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे घर के अंदर या बाहर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
5	यूफोरबिया मिली	100	यह पौधा पानी जमा करने वाले मोटे, कांटेदार तनों के कारण शुष्क परिस्थितियों में भी अच्छी तरह पनपता है। क्योंकि इसे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। एयर कालिटी में सुधार करने और प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद कर सकता है।
6	फाइकस मोकलामे	100	हवा को साफ करने में माहिर है। यह हवा से फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde) और बैजीन जैसे हानिकारक प्रदूषकों (toxins) को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है।
7	जेट्रोफा फर्केरिया	49	पर्यावरण के लिए एक अत्यंत लाभदायक पौधा है। यह न केवल बायोडीजल का स्रोत है, बल्कि बंजर भूमि को सुधारने और प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8	फाईकस कोक्सटेल पाम	9	यह मुख्य रूप से एक कठोर और कम देखभाल वाला पौधा है। यह पौधा कैडमियम (Cd) जैसी भारी धातुओं से दूषित मिट्टी को साफ करने (phytoextraction) की क्षमता रखता है।
9	फाईकस कोक्सटेल पाम	2	फाईकसटेल पाम एक उत्कृष्ट एयर प्यूरीफायर है। यह हवा से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाकर और CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे आसपास का वातावरण स्वच्छ बनता है।
10	रेड माचेरा	82	हवा को साफ करने में मददगार है। यह फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde), बैजीन और अन्य

			हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है। यह एक 12 महीने हरा-भरा रहने वाला हार्डी पौधा है।
11	फाइक्स स्टारलाइट	26	यह पौधा हवा से फॉर्माल्डेहाइड (formaldehyde), बेंजीन (benzene) और ट्राइक्लोरोएथिलीन (trichloroethylene) जैसे हानिकारक विषैले पदार्थों को हटाता है।
	कुल	1796	


(फोटोग्राफ संलग्न है) जिससे पर्यावरण को लाभ होगा एवं सुन्दरता से शहर को हरित शहर के रूप में दर्शाया जा सकेगा।

उक्त स्थल पर नगर निगम आगरा द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया गया है, लगे हुये वृक्ष यथास्थित है (कार्य से पूर्व की फोटोग्राफ संलग्न है)। पौधों को रोपित किये जाने हेतु मिट्टी भराव, खाद, पानी को रोकने व जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु एक ढाँचा तैयार किया गया है, जिससे वृक्षों का रख-रखाव सुरक्षित प्रकार से किया जा सकें। तद् दिनांक तक उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा 1,796 वृक्ष एवं पौधे रोपित किये गये हैं।


(फोटोग्राफ संलग्न)


नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा


1. मंडलायुक्त/अध्यक्ष टी0टी जेड0 प्राधिकरण आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी आगरा महोदय को सादर सूचनार्थ।


नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

BEFORE



AFTER



[Handwritten signature]
3/11



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1002 / एल-294 / 2026

दिनांक - 27 / 02 / 2026

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

महत्वपूर्ण/मा० एन० जी० टी० अ० क०

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं०-665 / 2025 जगन प्रसाद तेहरिया बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त OA में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरण में वृक्ष कटान से संबंधित तथ्यों पर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया जाना है। उक्त वाद जनपद आगरा से सम्बन्धित है। शपथपत्र प्रतिवादी सं०-02 एवं 04 की ओर से दाखिल होना है, वाद में प्रतिवादी सं०-02 अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रतिवादी सं०-04 जिलाधिकारी, आगरा है। प्रतिवादी संख्या-11 आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा है।

उपर्युक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-665 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत निरीक्षण आख्या (Inspection Note), तथ्यात्मक स्थिति (Factual Inputs), अनुमतियों की स्थिति तथा संबंधित विभागीय कृत कार्यवाही का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सक्षम मा० अधिकरण के समक्ष समुचित एवं तथ्याधारित शपथपत्र दाखिल किया जा सके। प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 12.03.2026 नियत है।

अतः उपर्युक्त सूचना/निरीक्षण आख्या समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोपरि। ई-मेल द्वारा

भवदीय

(अमित मिश्रा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय-आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

पत्रांक 136/डी/सं.स/2025

दिनांक 01-10-2025

आदेश

शाहजहां पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के सम्बन्ध में कार्यालय उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक-1078-02/उद्यान/2025-26/आगरा दिनांक 15.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़-पौधों को क्षति पहुंचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाड़ी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) के नियमानुसार परीक्षण एवं जांच हेतु सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में परीक्षण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1. सचिव, आ0वि0प्रा0	अध्यक्ष
2. वित्त नियंत्रक, आ0वि0प्रा0	सदस्य
3. अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई	सदस्य
उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल	सदस्य
5. एस0डी0ओ0, वन विभाग, आगरा	सदस्य
6. अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, आगरा	सदस्य

उपर्युक्त गठित समिति स्थल का निरीक्षण करते हुये पौधों के संरक्षण, एस.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये अपनी सुस्पष्ट सुसंगत आख्या दिनांक 10.10.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करे।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त
06

पत्रांक:-136/डी/सं.स/2025 दि 01-10-2025
प्रतिलिपि:-

1. सचिव।
2. समस्त समिति सदस्यगण।
3. गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त
06

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 175/D/ईई-2/25

दिनांक :- 10/10/25

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,



आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा के संलग्न पत्रांक 136/डी/ईई-1/2025 दिनांक 01.10.25 के द्वारा गठित समिति में प्रभारी मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सदस्य संयोजक के रूप में सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.10.25 को प्रदान कर दिया गया है।



अतः उपरोक्तानुसार गठित समिति के साथ स्थल का निरीक्षण कराते हुये पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का नियमानुसार परीक्षण करते हुये समिति की सुस्पष्ट सुसंगत आख्या एक सप्ताह में अधोहरताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना अवश्य ही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. वित्त नियन्त्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
4. अधीक्षण पुरातत्वविद्, ए.एस.आई., आगरा
5. उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा।
6. एस.डी.ओ., वन विभाग, आगरा।
7. **अधीक्षक अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।**
आधिसारक


 (एम. अरुन्मोली)
 उपाध्यक्ष 


 उपाध्यक्ष 



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 268 / डी / ई-2 / 2025,
प्रेषक,

दिनांक : 02 / 12 / 2025

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

विषय : शाहजहाँ पार्क के पौधों के संरक्षण, ए.एस.आई. की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान का परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या के सम्यन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय आदेश पत्रांक-136/डी./ई.ई.-1/2025, दिनांक 01.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शाहजहाँ पार्क में थीमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्य के संबंध में उपनिदेशक, उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक-1078-82/उद्यान/2025-26/आगरा, दिनांक 15.09.2025 के अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़-पौधों को क्षति पहुँचाये जाने विषयक एवं देवाशीष भट्टाचार्य, कालीबाडी, आगरा के शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2025 के क्रम में परीक्षण एवं जाँच हेतु समिति गठित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित समिति की संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

कृपया उपरोक्तानुसार सादर अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक :- संयुक्त जाँच आख्या मूल रूप में।

भवदीया



सचिव,

आ0वि0प्रा0, आगरा। 01/12

प्रतिलिपि :-  31/12/25

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता को आ0का0 हेतु।


31/12/25


सचिव,

आ0वि0प्रा0, आगरा। 01/12

शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए०एस०आई० की परिधि एवं कम्पोजिट प्लान परीक्षण व जाँच हेतु गठित समिति की आख्या

दिनांक 27.10.2025 को शाहजहाँ पार्क के पौधों की सुरक्षा, ए०एस०आई० परिधि एवं कम्पोजिट प्लान के परीक्षण एवं जाँच हेतु मण्डलायुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा सचिव महोदय, आ.वि.प्रा. की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों द्वारा शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे-

1. श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, सचिव, आ.वि.प्रा., आगरा।
2. श्री शिवनाथ सिंह, वित्त नियंत्रक, आ.वि.प्रा., आगरा।
3. श्री डी०पी० यादव, उपनिदेशक (उद्यान), आगरा।
4. श्री अरविन्द मिश्रा, एस०डी०ओ०, वन विभाग, आगरा।
5. श्री एस०सी० मीना, डी०एस०एच०, ए०एस०आई०, आगरा।
6. श्री संजीव कुमार, मुख्य अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
7. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
8. श्री रजनीश पाण्डे, उद्यान अधीक्षक, उद्यान विभाग, आगरा।
9. श्री एस०डी० पालीवाल, सहायक अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
10. श्री राजकपूर, अवर अभियन्ता, आ.वि.प्रा., आगरा।
11. श्री राघवेन्द्र सिंह, सर्वेयर, ए०एस०आई०, आगरा।

स्थल निरीक्षण के समय पाया गया कि शाहजहाँ पार्क में कुल 22 स्थानों पर स्कल्पचर्स स्थापित किये जाने थे, जिनमें से मौके पर 19 स्थानों पर ही कार्य प्रारम्भ हुआ है। समिति द्वारा निम्नानुसार स्कल्पर्स का निरीक्षण किया गया-

1. सन टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य एवं उक्त के चारों ओर 03 मीटर चौड़ाई में ग्राउण्ड ग्रीन वॉकिंग पाथ-वे बनाये जाने हेतु ब्रिक टो-वॉल का निर्माण कराया गया है।
2. गोल्डन पैरागोडा ऑफ नराशयी स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट फाउण्डेशन एवं कॉलम तथा ब्रिक वॉल का कार्य 01 से 1.5 मीटर ऊँचाई तक किया गया है, साइड में खुदाई का कार्य भी किया गया है, ग्रीन पाथ-वे की टो-वॉल हेतु खुदाई का कार्य किया गया है तथा कुछ जगह पर आंशिक रूप से टो-वॉल डालने का कार्य किया गया है।
3. ककटिया रुद्राक्ष स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य कराया गया है।
4. नालन्दा महावीरा स्कल्पचर स्थापित करने हेतु राफ्ट की खुदाई का कार्य करते हुये पी.सी.सी. का कार्य हुआ है।
5. गोल्डन टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, 01 मीटर की खुदाई में पेड़ों की जड़े आ जाने के कारण खुदाई का कार्य बन्द है।
6. रंग घर स्कल्पचर स्थापित करने हेतु फाउण्डेशन खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था।
7. हवामहल फाउण्डेशन स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।

8. रनकपुर जैन टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्तमान में बन्द है।
9. रानी का बाग स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेड़ों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
10. केदारनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेड़ों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
11. हम्पी स्टोन चैनीओट स्कल्पचर स्थापित करने हेतु हल्की खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था, खुदाई के समय पेड़ों की कुछ जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
12. सांची स्तूप स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य करते हुये ग्रीन पाथ-वे हेतु नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल तक ब्रिक टो वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। स्थल पर एक स्थान पर पेड की जड़ें आने के कारण टो वॉल का कार्य वहाँ रूकवा दिया गया है।
13. सारनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
14. राम मंदिर अयोध्या स्कल्पचर स्थापित करने हेतु खुदाई का कार्य प्रारम्भ करते हुये ग्रीन पाथ-वे के कुछ स्थानों पर टो वॉल हेतु ब्रिक वॉल का कार्य कराया जाना पाया गया। कुछ स्थानों पर पेड की जड़ें निकल आने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्य बन्द करा दिया गया है।
15. रामेश्वर टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
16. लक्ष्मण टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
17. एलोरा कैलाश टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
18. पार्श्वनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।
19. काशी विश्वनाथ टैम्पल स्कल्पचर स्थापित करने हेतु मौके पर कोई कार्य प्रारम्भ होना नहीं पाया गया।

स्थल पर उपस्थित आगरा विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि-

- पूर्व में परियोजना में स्कल्पचर के चारों ओर बनाये जाने वाले पाथ-वे पर पत्थर लगाया जाना था परन्तु संबंधित आर्किटेक्ट द्वारा स्कल्पचर के साथ चारों तरफ प्लेटफार्म बनाते हुये ग्रीन पाथ-वे में परिवर्तित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार स्थल पर निर्माण क्षेत्रफल पूर्व प्रस्तावित 5533.42 वर्गमीटर से घटकर 1265.303 वर्गमीटर रह जाता है।
- प्रश्नगत स्थल पर कुल 22 स्कल्पचर्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से 03 स्कल्पचर्स





आगरा मेट्रो के एलाइनमेंट में होने के कारण उनके स्थान परवर्तित किये जाने का निर्णय लिया जाना है परन्तु अभी तक स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है। जिससे प्रस्तावित परियोजना में 700.63 वर्गमीटर जमीन प्रभावित होना सम्भावित है, जो कि 1265.303 वर्गमीटर में सम्मिलित है।


- स्थल पर निर्माणाधीन/प्रस्तावित स्कल्पचर्स पार्क के निर्मित मार्ग के लेबिल के अनुसार रखा जाना है। जिस हेतु स्थलानुसार नेचुरल ग्राउण्ड लेबिल से 0.5 मीटर से 2.0 मीटर तक ऊँचाई पर स्कल्पचर्स लगाया जाना है।
- ए0एस0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि शाहजहाँ पार्क की सीमा से कई राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की संरक्षित सीमा सटी हुई है, 1-Khan-i-Alam's Bagh together with the new tank near the Taj, 2-Entrance gateway to Khan-e-Alam's bagh, 3-Saheli Burj No. 4, west of outer wall round Taj gardens, 4-Tank near the Fatehpuri Masjid on the south-west corner of outer entrance to, 5-Fatehpuri Masjid on south-west corner of outer entrance to the Taj. ऐसी स्थिति में शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रॉसफॉर्मेशन के कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जाए।


समिति का अभिमत :


1. शाहजहाँ पार्क में थीमेटिक ट्रॉसफॉर्मेशन के कार्य हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को आवेदन कर वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए, स्कल्पचर निर्माण की कार्यवाही कराया जाना उचित होगा।
2. स्कल्पचर्स हेतु मौके पर की गयी भूमि की खुदाई/कार्य के कारण वृक्षों की जड़े दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था से पर्यावरण आंकलन (Environment Assessment) कराये जाने की उपरान्त ही पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट (Environment Assessment Report) के आधार पर नियमानुसार कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई हानि/नुकसान न हो।

अधिशायी/अधीक्षण अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।



अधीक्षण पुरातत्वविद
ए0एस0आई0, आगरा।


एस0डी0ओ0,
वन विभाग, आगरा।


मुख्य अभियन्ता,
आ0वि0प्रा0, आगरा।


उप निदेशक, उद्यान,
आगरा मण्डल, आगरा।


वित्त नियंत्रक,
आ0वि0प्रा0, आगरा।


सचिव,
आ0वि0प्रा0, आगरा।